कार्यालय, अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर।

निविदा सूचना।

वित्तीय वर्ष 2017-18 (01.04.17 से 31.03.18) तक की अवधि के लिए प्रमुख खाद्य सामग्रियों, हरी सब्जियाँ व फल, विविध सामग्रियाँ तथा निर्माणशाला से कच्चे माल के क्रय एवं बिक्री हेतु अलग-अलग मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा अद्योहस्ताक्षरी (काराधीक्षक) के कार्यालय में दिनांक-16.03.17 के 12:00 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए। संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा देने के पश्चात प्राप्ति रसीद कारा से प्राप्त कर लेगें। प्राप्त निविदाएँ दिनांक-17.03.17 को समाहरणालय, मुजफ्फरपुर के सभागार में पूर्वाह्न 10:00 बजे कारा क्रय समिति की बैठक में निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा के इच्छुक सभी संवेदक निविदा की शर्त्ते (खाद्य व विविध वस्तुओं की सूची के साथ) काराधीक्षक के कार्यालय से कार्य-दिवस के दिन पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 4:00 बजे तक नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है। निविदा की शर्त्तो को समाहरणालय, मुजफ्फरपुर के बेवसाईट www.muzaffarpur.bih.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा की शर्त्ते

I. निविदा दो भागों में यथा (1)तकनीकी भाग दो-दो प्रतियों में (2)वित्तीय भाग दो-दो प्रतियों में दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दिया जायेगा। लिफाफा के उपर 'तकनीकी निविदा' एवं 'वित्तीय निविदा' का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं की द्वितीय प्रति में सभी कागजातों की छायाप्रति संलग्न करने के साथ लिफाफे के उपर द्वितीय प्रति लिखना अनिवार्य होगा। तकनीकी भाग के सफल निविदादाताओं को ही उनके द्वारा समर्पित निविदा के वित्तीय भाग को खोला जायेगा। किसी भी परिस्थिति में एक लिफाफे में दोनों भाग न रहे अन्यथा उनकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।

II. तकनीकी भाग में सभी आवश्यक्र कागजात तथा जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अपना अद्यतन चरित्र स्वच्छता प्रमाण पत्र, वैट (Vat) निबंधन प्रमाण पत्र, पैन नम्बर से संबंधित प्रमाण पत्रों के अलावे अद्यतन आय कर रिटर्न एवं अद्यतन बिक्री कर रिटर्न की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।

III. निविदा पाँच खण्डो 'क' 'ख' 'ग' 'घ' एवं 'ङ' में विभक्त किया गया है। इसमें खण्ड 'क' में प्रमुख खाद्य सामग्रियों, खण्ड 'ख' में हरी सब्जियाँ फल इत्यादि, खण्ड 'ग' में विविध सामग्रियाँ, खण्ड 'घ' में निर्माणशाला हेतु कच्ची सामग्रियाँ, खण्ड 'ड़' निर्माणशाला से बिक्री हेतु प्राप्त सामग्रियाँ शामिल है।

यदि कोई निविदादाता खण्ड 'क' 'ग' 'घ' 'ड.' सम्पूर्ण चारों भाग की निविदा चाहता है, तो उसे 50,000.00(पचास हजार रूपये) की अग्रधन राशि बैंक गारंटी के रूप में तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निविदादाता इन चारो खण्डों में से सिर्फ एक या दो या तीन खण्डों की निविदा चाहता है, तब भी अग्रधन की राशि-50,000.00(पचास हजार रूपये) ही होगी। इसके साथ ही खण्ड ''ख'' हरी सब्जियों व फल इत्यादि के लिए 15,000.00 (पंद्रह हजार रूपये) की अग्रधन राशि बैंक गारंटी के रूप में तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई निविदादाता खण्ड 'क' 'ग' 'घ' 'ड.' सम्पूर्ण चारों भाग की निविदा चाहता है, और 50,000.00(पचास हजार रूपये) का अग्रधन राशि बैंक गारंटी के रूप में तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुतं करता है। यदि उस निविदादाता की निविदा किसी एक खण्ड के लिए अमान्य होती है तो सम्पूर्ण चारो खण्डों के

लिए उसकी निविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। इसलिए तकनीकी निविदा लिफाफे के उपर खण्ड का जिक्र करना आवश्यक है।

IV. खण्ड 'क' एवं खण्ड 'घ' हेतु इच्छुक निविदादाताओं को विगत तीन वर्षो (2013-14, 2014-15 एवं 2015-16) का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44AB(a) के तहत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित प्रतिवेदन संलग्न करना होगा, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्षो में Turnover एक करोड़ रूपये या इससे अधिक का होना चाहिए। आयकर विभाग के Website-http:/www.incometaxindiaefiling.gov.in से इसे download कर इसकी स्वहस्ताक्षरित प्रति निविदा के साथ उन्हे संलग्न करनी होगी। संदेह की स्थिति में इस आयकर अंकेक्षित प्रतिवेदन एवं आयकर विवरणी की जाँच आयकर विभाग के बेबसाईट से निविदादाता की उपस्थिति में किया जाएगा एवं जाँच में सहयोग हेतु उस समय निविदादाता आयकर विभाग को अपना Passward की जानकारी अपने पास रखेंगे। निविदादाता की स्वयं उपस्थिति इस हेतु अनिवार्य होगी।

V. खण्ड 'क' एवं खण्ड 'घ' हेतु इच्छुक सभी निविदादाताओं का सकल आवर्त (Gross Turnover) विगत तीन वित्तीय वर्षो (2013-14, 2014-15 एवं 2015-16) में एक करोड़ रूपये या इससे अधिक का होना चाहिए। इस हेतु वाणिज्य कर विभाग में जमा की गई कर का Tax Audit Report का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित प्रतिवेदन संलग्न करना आवश्यक है।

VI. निविदादाता यह सुनिश्चित करेगें कि उनका दर मुजफ्फरपुर मंडी के दरों के परिपेक्ष्य में ही हो। वस्तुओं की दरें सभी आकस्मिक खर्च एवं कारा गोदाम तक पहुँचाने के साथ-साथ सभी प्रकार के कर सहित होगा। संवेदकों द्वारा प्राप्त दर बाजार दर से कम रहने पर उनकी निविदा पर प्रावधानित नियमानुसार विचार नही किया जायेगा और उनकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

VII. सभी सामग्रियों का बाजार दर अनुमंडल पदाधिकारी(पूर्वी) मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/तिमूल(तिरहुत मिल्क उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड), मुजफ्फरपुर से प्राप्त किया जायेगा। खाद्यानो, विविध सामग्रियो, हरी सब्जी, आलू, प्याज तथा निर्माणशाला हेतु कच्चे माल के क्रय हेतु निविदा के लिए संवेदको द्वारा कोट किये गये दरो मे प्रावधानित वैट/अन्य कर तथा कारा गोदाम तक पहुँचाने का खर्च कोट किये गये दर मे संहित होगा जिसका भुगतान संबंधित संवेदक को अनुशंसित/स्वीकृत दर की राशि से स्वयं करनी होगी। उसके लिए अलग से वैट/अन्य कर कारा गोदाम तक पहुँचाने का खर्च कारा द्वारा भुगतेंय नही होगा। वैट की राशि विपत्र भुगतान के समय स्वीकृत दर से कटौती कर संबंधित विभाग को कारा द्वारा जमा कर दिया जायेगा। उसके लिए आपूरक का कोई दावा यथा वैट की राशि अलग से भुगतान करने का प्रावधान नही होगा।

VIII. विविध खाद्य सामग्रियों का एक-एक किलो नमूना प्रत्येक निविदादाता को कारा क्रय समिति के समक्ष देना होगा। क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूना पर न्यूनतम दर को अनुशंसित/स्वीकृत किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर डाक बोली भी कराई जा सकती है।

IX. दरों को कारा क्रय समिति के द्वारा अनुशंसित किये जाने के उपरान्त अन्तिम स्वीकृति जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात होगा।

X. सभी निविदादाताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार अनुज्ञप्ति/पंजीकृत रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शेष यदि किसी खाद्य कारोबारीकर्त्ता का वार्षिक टर्नओवर 12,00,000.00 (बारह लाख रूपये) से कम है तो उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यदि किसी खाद्य कारोबारीकर्त्ता का वार्षिक टर्नओवर 12,00,000.00 (बारह लाख रूपये) से अधिक है तो उसे अनुज्ञप्ति या लाइसेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी निविदा रद्द मानी जायेगी।

XI. दरों का निर्धारण पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जायेगा।

XII. कारा क्रय समिति द्वारा अनुशंसित एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अनुमोदित दर सभी को मान्य होगा।

XIII. सफल निविदादाताओं को महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-235 दिनांक-13.01.14 द्वारा आपूरित सामग्रियों के वार्षिक अनुमानित मूल्य का 10प्रतिशत सुरक्षित जमा(सिक्यूरीटी डिपोजिट) के रूप में जमा लिया जायेगा। अग्रधन एवं सुरक्षित जमा की राशि मात्र बैंक गारंटी के रूप स्वीकार की जायेगी तथा ठीकाबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। सफल निविदादाताओं को कारा के आवश्यकतानुसार आदेशित मात्रा में सामग्रियों को कारा गोदाम तक पहुँचाना होगा तथा संवेदक के द्वारा प्राप्त बैंक गारंटी की जाँच भी करायी जाएगी। यदि किसी संवेदक का बैंक गारंटी फर्जी पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

XIV. ठीका लेकर मुकर जाने, समय पर आपूर्ति न करने एवं घटिया किस्म की आपूर्ति करने पर कारा के विधि व्यवस्था के हित में बिना कोई पूर्व सूचना के अन्य श्रोतों से आपूर्ति ले लिया जायेगा एवं यदि इसमें अधिक व्यय हुआ तो उसकी वसूली संवेदक के लम्बित विपत्र से अथवा उनके द्वारा सुरक्षित जमा राशि से की जायेगी तथा सत्यंकार की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं भविष्य में होने वाली निविदा में भाग नही लेने दिया जायेगा। उन्हें कालीकृत (Black Listed) या Debar करने की कार्रवाई के साथ-साथ एफ0आई0आर0 भी दर्ज किया जायेगा।

XV. निविदादाता किसी भी संस्था द्वारा कालीकृत(Black Listed)न हों और न ही कालीकृत (Black Listed) किये जाने संबंधित कोई भी प्रक्रिया लम्बित हो तथा उन पर किसी भी प्रकार का **सिविल या क्रिमिनल मुकदमा लम्बित नही होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र तकनीकी निविदा के साथ देना होगा। इस शपथ पत्र में संवेदक को स्पष्ट रूप से यह इंगित करना होगा कि उनका कोई संबंधी कारा कर्मी नही है।**

XVI. निविदादाता को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। आपूरित वस्तुओं के मूल्य का भुगतान आवंटन रहने पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अनुशंसित दरों के अनुमोदित होने पर ही किया जायेगा। भुगतान के अभाव में आपूर्ति बन्द नही करनी होगी और न ही उसके लिए न्यायालय के शरण में जाने की छूट होगी।

XVII. निविदा के बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार कारा क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।

XVIII. निविदा के खण्ड(घ) में सरसो (लाल) बनावन एवं नमी रहित, पुष्ट, शुष्क एवं अच्छे किस्म का होना चाहिए। सरसों आर्युमन एवं बाहरी पदार्थो से मुक्त होना चाहिए। सरसों में बनावन रहने पर इस कारा के एक वर्ग इन्च में 24 बाई 22 वाले झड़ना से सफाई कराई जायेगी तथा बनावन की अनुपातिक कटौती की जायेगी। उपरोक्त किस्म के साफ-सुथरे सरसों को कारा के Expeller मे एक किवन्टल सरसो पेराई के उपरान्त 35 किलो तेल गाद रहित तथा 62.500 किलों सरसो खल्ली प्राप्त होना चाहिए। आपूरित शुद्ध सरसों में तेल अगर 35% से कम आता है तो सरसो दर में समानुपातिक कटौती की जायेगी। यदि आपूरित शुद्ध सरसों में 32% से कम तेल उत्पादित होता है तो ऐसे सरसों को अविलम्ब अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आपूरित बनावन रहित चना से 65% चना सत्तू उत्पादित होना अनिवार्य है तथा अगर उत्पादन 65% से उत्पादन कम आता है तो चना दर में समानुपातिक कटौती की जायेगी। अगर 62% से कम सत्तू उत्पादित होता है तो चना की आपूर्ति अविलम्ब अस्वीकृत कर दी जायेगी। आपूरित शुद्ध सरसों से प्राप्त तेल आर्यमुन रहित तथा चना से प्राप्त सत्तू मानव खाद्य योग्य सरकारी रसायनिक प्रयोगशाला से प्रमाणित होने पर ही सरसों तथा चना की आपूर्ति स्वीकार की जायेगी।

निविदा पाँच खण्डों यथा 'क' 'ख' 'ग' 'घ' एवं 'ङ' में विभक्त है जो संवेदक किसी एक या दो खण्डों में विभक्त सामानों की निविदा लेना चाहेंगे वे मात्र उसी खण्ड की निविदा देगे सभी खण्डों की निविदा देने की आवश्यकता नही है। साथ ही अग्रधन राशि/शपथ पत्र सत्यापन मे गलत पाये जाने की स्थिति मे संबंधित संवेदक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर कानुनी कार्रवाई की जायेगी।

खण्ड (क) प्रमुख सामग्रियाँ (दिनांक-01.04.17 से 31.03.18 तक)

1. मध्यम उसना चावल (बनावन रहित) –
2. गेहूँ (बनावन रहित) –
3. अरहर दाल –
4. मसूर दाल –
5. चना दाल –
6. पीली चक्की गुड़ –
7. चायपत्ती (गोल दाना) –
8. चीनी –
9. मिल्क पाउडर –
10. पाव रोटी(सलाईस ब्रेड)/प्रतिकिला (निर्माणशाला कारा से प्राप्त नही होने पर) –
11. सूजी /प्रतिकिलो –
12. रिफाईन तेल(धारा/फार्चून)/ प्रति लीटर –
13. सुखा मटर (गोलदाना बड़ा साईज में)/ प्रतिकिलो –
14. पनीर (सूधा डेयरी से नही प्राप्त होने पर)/ प्रतिकिलो –
15. सजाव दही (सूधा डेयरी से नही प्राप्त होने पर) प्रतिकिलो –
16. अरवा चावल (खीर हेतु अच्छे किस्म का)/ प्रतिकिलो –
17. सेवई (घंटी छाप)/प्रतिकिलो –
18. काबुली चना (अच्छे किस्म का)/ प्रतिकिलो –
19. कोयला (स्टीम ग्रेड-2) –
20. जलावन लकड़ी (शीशम, लीची, आम का सुखा हुआ) –
21. आलू (8 सुता से कम नही) –
22. प्याज (सुखा प्याज बड़ा) –
23. प्रोटीन युक्त सोयाबीन –
24. चूड़ा –

खण्ड''ख''दिनांक-01.04.17 से 30.06.17(प्रथम त्रैमासिक) तक के लिए आलू, प्याज, हरी सब्जिया एवं फल

1. भिण्डी, 2. कटहल, 3. बैगन, 4. कदद्, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. सेम, 9. कदीमा, 10. नेनुआ, 11. झिगुनी, 12. टमाटर, 13. बोड़ो, 14. कच्चु, 15. परबल, 16. पका केला (प्रति दर्जन), 17.कागजी नीबू(मध्यम आकार का), 18. सेब, 19. संतरा, 20.अण्डा(प्रति नग) 21. मौसम्मी फल 21.अमरूद (कलमी) 22. खीरा (स्थानीय) 23. मूली (पत्ता रहित)

दिनांक-01.07.17 से 30.09.17(द्वितीय त्रैमासिक) तक के लिए आलू, प्याज, हरी सब्जिया एवं फल

1. भिण्डी, 2. कन्दा, 3. बैगन, 4. कद्दू, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. झिंगुनी, 9. कदीमा, 10. नेनुआ, 11. कच्चु, 12. परबल, 13. कुन्दरी, 14. ओल 15. पका केला (प्रति दर्जन), 16. कागजी नीबू (मध्यम आकार का), 17. सेब, 18. संतरा, 19. अण्डा(प्रति नग) 20. कटहल 21.मौसम्मी फल 22.अमरूद (कलमी) 23. खीरा (स्थानीय) 24. टमाटर 25. मूली (पत्ता रहित) 26. आम (समयानुकुल/भदैया)

दिनांक-01.10.17 से 31.12.17(तृतीय त्रैमासिक) तक के लिए आलू, प्याज, हरी सब्जिया एवं फल

1. फूल गोभी, 2. बन्धा गोभी, 3. बैगन, 4. कद्दू, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कच्चु, 9. कदीमा, 10. नेनुआ, 11. सेम, 12. टमाटर, 13. भिण्डी, 14. बोड़ो, 15. मटरछीमी 16. मूली(पत्ता रहित) 17. ओल 18. पका केला(प्रति दर्जन), 19. कागजी नीबू(मध्यम आकार का), 20. सेब, 21. संतरा, 22. अण्डा (प्रति नग) 23. कुन्दरी 24. मौसम्मी फल 25.अमरूद (कलमी) 26. खीरा (स्थानीय) 27. आम (समयानुकुल/भदैया)

दिनांक-01.01.18 से 31.03.18(चतुर्थ त्रैमासिक) तक के लिए आलू, प्याज, हरी सब्जिया एवं फल

1. फूल गोभी, 2. बन्धा गोभी, 3. बैगन, 4.कद्दू, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग 8. सेम, 9. कदीमा, 10. टमाटर, 11. मूली (पत्ता रहित) 12. बोड़ो, 13. मटरछीमी 14. पका केला (प्रति दर्जन), 15. कागजी नीबू (मध्यम आकार का), 16. सेब, 17. संतरा, 18. अण्डा (प्रति नग), 19. मौसम्मी फल 20.अमरूद (कलमी) 21. खीरा (स्थानीय)

नोटः-चारो क्वाटर सब्जी की निविदा चार पन्नों मे अलग-अलग दर्शाते हुए एक ही वित्तीय लिफाफे में देना होगा।

खण्ड (ग) ''विविध सामग्रियाँ''

भाग (A) लेखा व अन्य शाखाः-

(1)खस्सी माँस (कारा हाता मे काट कर) अस्पताल में भर्ती टी0बी0 बंदियों हेतु (2)मछली (देशी रेहू)/प्रतिकिलो कारा हाता में मछली लाकर काट कर (3)मुर्गा माँस/प्रतिकिलो कारा हाता में लाकर काट कर (4)नमक(आयोडिन युक्त) (5)लाईफब्याय साबुन**(निर्माणशाला कारा से प्राप्त नही होने पर)** (6)सेनिटरी नेपकिन (7)नारियल तेल (पाराशुट) (8)दतवन(नीम या बबूल का) (9)अदरक (10)लहसून (11)गरम मशाला प्रति 100ग्राम(मिक्स पैकेट) (12)छाता (के0सी0पाल) (13)तिलकुट (14)गेहूँ पिसाई (2% जलती अनुमान्य रहेगा, कारा गोदाम से ले जाने तथा वापस लाने का खर्च सहित स्वीकृत दर मे संहित रहेगा) (15)नारियल रस्सी (16)सूतली (17)पटुआ (18)नारियल झारू (19)बेंत की टोकरी (20)ड्रेन ब्रश (21)ताड़ का पंखा (22)अंडी तेल (23)लोहा का पतला तार (24)बाँस का सूप (25)बाँस का डगरा (26)ताड़ की चटाई (27)लालटेन बर्नर (28)लालटेन शीशा (29)लालटेन फीता (30)स्टील थाली (31) स्टील कटोरा (32) स्टील ग्लास (33) स्टील चम्मच (34) स्टील छोटा थाली बच्चा वास्ते (35)कली चूना (36)भखरा(गरदा)चूना, (37)गेरू मिट्टी (38)रामराज मिट्टी (39)गैमेक्सिन पाउडर (40)ब्लीचिंग पाउडर (41)मिटटी का घड़ा (42)मिटटी का गमला (43)मिट्टी का ढ़क्कन (44)खाली टीन(बड़ा) (45)खाली डिब्बा(पाँच किलो का) (46)बाँस बड़ा (47)भीम पाउडर (48)एसिड (49)फिनाईल गोली (50)बैट्री(एवेरेडी) (51)टार्च बल्ब(तीन सेल का) (52)टार्च स्वीच (53)टार्च शीशा (54)बिजली का स्वीच (55)फिलिप्स बल्ब-40वाट (56)फिलिप्स बल्ब-100वाट (57)फिलिप्स बल्ब-200वाट (58)बिजली का तार(3/20) (59)बिजली का तार 40/76 (60)बिजली का तार 4एम0एम0 (61)बिजली का तार 6एम0एम0 (62)बिजली का तार 8 एम0एम0 (63)बिजली का तार 1 एम0एम0

(64)बिजली का टेपरौल (65)बल्ब होल्डर (66)बल्ब शेड (67)कॉपर तार 1एम0एम0 (68)कॉपर तार (69)8एम0एम0 एवं कॉपर तार 6एम0एम0 (70)कॉपर तार 3/20 (71)फिनिट तेल (72)फिनिट पम्प (73)मरकरी टयूब (74)मरकरी होल्डर (75)मरकरी फूल सेट (76)स्टार्टर होल्डर (77)मरकरी चौक (78)मरकरी स्टार्टर (79)सोडियम भेपर बल्ब 125वाट (80) सोडियम भेपर बल्ब 250वाट (81)सोडियम भेपर बल्ब 400वाट (82)सोडियम भेपर चौक 125वाट (83) सोडियम भेपर चौक 250वाट (84)सोडियम भेपर चौक 400वाट (85)सोडियम भेपर होल्डर 125वाट (86) सोडियम भेपर होल्डर 250वाट (87)सोडियम भेपर होल्डर 400वाट (88)हैलोजिन टयूब 500वाट (89)हैलोजिन टयूब-1000वाट (90)सी0एफ0एल0 बल्ब-18वाट (91)सी0एफ0एल0 बल्ब-45वाट (92)सी0एल0एफ0 बल्ब-24वाट (93)सी0एफ0एल0 बल्ब-85वाट (94)बटाम होल्डर (95)महिला कंघी (96)थीन पेपर (97)सामान्य सादा कागज (98)कार्बन(कोरस) (99)रजिस्टर-1 जिस्ता (100)रजिस्टर-2 जिस्ता (101)रजिस्टर-3 जिस्ता (102)रजिस्टर-4 जिस्ता (103)फैन्सी रजिस्टर-1 जिस्ता (104)फैन्सी रजिस्टर-2 जिस्ता (105)फैन्सी रजिस्टर-3 जिस्ता (106)फैन्सी रजिस्टर-4 जिस्ता (107)फैन्सी रजिस्टर-5 जिस्ता (108)फैन्सी रजिस्टर-6 जिस्ता (109)टैग (110)गोंद-200एम0एल0 (111)गोंद-400एम0एल0 (112)फलाईलीफ (113)गार्ड फाईल (114)लिफाफा (115)लिफाफा-A4 (116)लिफाफा-A3 (117)स्टाम्प पैड (118)पेपर पीन (119)रिफिल(रेड एवं ब्लू) (120)छोटी कॉपी (121)स्टाम्प पैड इंक (122)कम्प्यूटर पेपर A/4 एवं लिगल(FS) (123)लिखो-फेको कलम (124)फलाई बोर्ड (125)स्टेपलर बड़ा (126)स्टेपलर छोटा (127)स्टेपलर पीन (128)टाईप रिबन (129)कॉरक्शन पेन (130)कलर फ्लैग (131)मारकर कलम (132)लक्सर सिग्नेचर पेन-लाल/ब्लू/हरा/काला (133)अल्मुनियम बल्ब शेड (134)डिटॉल साबुन (135)जॉनसन बेबी पाउडर (136) लालटेन (राकेश का) (137)हल्दी पत्ता सहित (138)आदि पत्ता सहित (139)400वाट मेटल बल्ब (140)400वाट मेटल चॉक (141)इगनेटर (मेटल लाईट का) (142)33यू0एफ0कंडेन्सर (143)3/15यू0एफ0कंडेन्सर (144)झरना (145)गंडक का बालू(प्रति टेलर) (146)L.E.D.Bulb-40 Wt. (147)L.E.D.Bulb-60 Wt. (148)L.E.D.Bulb-70 Wt. (149)L.E.D.Bulb-90 Wt. (150) Link Atoot Lock- 50 No., 70 No., 75 No. (151)कम्प्यूटर पेपर लिगल(FS) (152)बनस्पति घी (153)सुधा घी।

भाग (B)निर्माणशाला शाखाः-

(1)बन्द मुँह का खाली नया ड्राम (2)इमरी स्टोन (3)पीला मोम (4)सिलाई सूई-16 एवं 18 (5)दर्जी खल्ली (6)कागजी पेन्सिल (7)मशीन तेल (8)हाँथ सूई (9)उजला सिलाई मशीन रिल(कोटस)10000मी0का (10)खाली काठ का बक्सा 50कि0 का (11)लोहे का कॉटी 1''से 4'' (12)नौसादर (13)राँगा (14)चपड़ा (15)चनरस (16)स्प्रीट(अवकारी विभाग से प्राप्त नह होने पर) (17)लोहे का चदरा 8'×3'(22गेज का) (18)रेती 4'' एवं 6'' (19)मच्छड़दानी का कपड़ा सफेद (20)बई(2500घर का) (21)राँच(1200घर का) (22)चक्की का बॉल बेरींग6208 (23)ग्रीस (24)बेल्ट पेस्ट (25)पीन (26)बुश (27)गुटका (28)स्प्रींग (29)बेल्ट (30)फास्नर(नट वोल्ट) (31)चक्की का फीता (32)ब्लू रंग (33)नारंगी रंग (34)फीटकिरी (35)कब्जा 3'' (36) हैंडील (37)लोहे का इमलिया 2'' से 4'' (38)स्क्रु 1'' से 2'' (39)लोहे का रिपीट (40)लोहे का पत्तर (41)थीन गठनी चटटी(पैकिंग चटटी) (42)बेडिंग चटटी (43)स्पंज (44)सोप डाई (45)नारा (46)नरी (47)स्टल (48)नारियल का खुज्जा (49)आटा चक्की का पत्थर 16'' ब्यास का (50)चक्की का धुरा (51)6एम0एम0 कॉपर तार (52)स्टाटर 15एच0पी0थ्री फेज (53)मेन स्वीच 63एम0पी0यर0थ्री फेज (54)63एम0पी0यर0चेन्ज ऑवर थ्रीफेज (55)63एम0पी0यर0चेन्ज ऑवर सिंगल फेज (56)6एम0एम0 थेमबुल (57)पी0भी0सी0पाईप 1'' (58)साईडल 1'' (59)एल्बो 1'' (60)जक्सन 1''(1,2,3,4) (61)8/12 बिजली बोर्ड

(62)8/12 संमाईका शीट (63)अल्मयूनियम तार 25एम0एम0 (64)आटा चक्की का पत्थर 20''ब्यास का (65)चक्की का बॉल बेरींग 6209 (66)चक्की का पत्थर 20'' (67)चक्की का पत्थर 24'' (68)बेल्ट 4 पलाई 5'' (69)काष्ठ पलाई 19एम0एम0 6×4 (70)काष्ठ पलाई 12एम0एम0 6×3 (71)काष्ठ पलाई 06 एम0एम0 6×3 (72)टीक पलाई 6×4 (73)बोड़ा सिलाई रील (74)चक्की का साफ्ट-16'' (75)चक्की का साफ्ट-20'' (76)चक्की का साफ्ट-24'' (77)पुली (78)चना सत्तू बोरा (50किलो रखने हेतु) (79)चना सत्तू बोरा (25किलो रखने हेतु) (80)मसाला बैग (25किलो रखने हेतु) (81)मसाला बैग (10किलो रखने हेतु) (82)मसाला बैग 05किलो रखने हेतु (83)मसाला बैग(02किलो रखने हेतु) (84)कटर मशीन फली 14'' (85)कटर मशीन ब्लेड 12'' (86)कटर मशीन ब्लेड 5'' (87)कटर मशीन ब्लेड 6'' (88)कटर मशीन ब्लेड 8'' (89)सनमाईका-8×4-01 सीट, (90)महीन जाली-8×4-01 सीट, (91)उड फिनिस-01 लीटर (92)बाटा सेन्ड पेपर-80,60,100 नम्बर (93)मोबील(Castrol)-05 लीटर का डब्बा (94)फाईन बेल्ट-A45, A54, A36, B76

खण्ड (घ) निर्माणशाला हेतु ''कच्ची सामग्रियॉं''।

(1)हल्दी(अच्छे किस्म का) (2)मिर्चा(लाल एवं सुखा) (3)धनिया(बड़ा दाना सुखा हुआ) (4)गोल मिर्च(बड़ा दाना) (5)जीरा(बनावन रहित सुखा) (6)चना(सत्तू निर्माण एवं बंदियों के उपयोग हेतु) बड़ादाना एवं बनावन रहित (7)सरसों(लाल)बनावन रहित बड़ा दाना (8)मक्का अच्छे किश्म का(भुँजा हेतु) (9)राधा चना (भुजा हेतु) (10)आम का तख्ता 6'×1''×1' Cft. (11)शीशम का चिरान लकड़ी 3½×1½, 2½×2×1½, 1½×3×1, 1½×1×1, 2×3×1, 2×1×1, 1½×2×1, 1½×2½×½, 2×2×1, 2×10×½, 5×6×1, 5×2½×1, 6×6×1, 2½×2½×2½, 3×2½×1, 5×12×1, 1½×3×3, 6×3×½, 3×3×1½ Cft. (12)शाल लकड़ी का चिरान उपरोक्त साईज में(वन विभाग से न प्राप्त होने पर) 3½×1½, 2½×2×1½, 1½×3×1, 1½×1×1, 2×3×1, 2×1×1, 1½×2×1, 1½×2½×½, 2×2×1, 2×10×½, 5×6×1, 5×2½×1, 6×6×1, 2½×2½×2½, 3×2½×1, 5×12×1, 1½×3×3, 6×3×½, 3×3×1½ Cft.

खण्ड (ङ) निर्माणशाला से बिक्री हेतु सामग्री

(1)चुन्नी/प्रति क्विंटल -

(2)भुस्सी/प्रति क्विंटल -

(3)सरसो खल्ली/प्रति क्विंटल -

अधीक्षक

शहीद खुदीराम बोस,

केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर।

3/3/17